

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

20013 - निषिद्ध वक्तों में नमाज़ की कज़ा करना

प्रश्न

कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि : हमारे लिए अस्त्र की नमाज़ के तुरंत बाद नमाज़ की कज़ा करना संभव नहीं है। आप से अनुरोध है कि मेरी सहायता करते हुए, मेरे लिए इस कथन से संबंधित विस्तृत उत्तर उल्लेख करें।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

सर्व प्रथम : कुछ ऐसे औकात हैं जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है, और वे यह हैं :

1- सुबह की नमाज़ के बाद यहाँ तक कि सूरज उग आए और एक भाले के बराबर ऊँचा हो जाए, अर्थात् लगभग पंद्रह मिनट का समय बीत जाए। अश्शर्हुल मुम्ते (4/162).

2- सूरज के आकाश के बीचो बीच होने के समय, यह ज़ुहर की नमाज़ के समय के प्रवेश करने से पहले एक संछिप्त समय है। जो लगभग एक चौथाई या एक तिहाई घंटा के बराबर होता है। फतावा शैख इब्ने बाज़ (11/286). जबकि कुछ विद्वान इस बात की ओर गए हैं कि यह इससे भी अधिक संछिप्त समय है। इब्ने कासिम रहिमहुल्लाह ने फरमाया : यह एक सूक्ष्म समय है जो किसी नमाज़ के लिए काफी नहीं होता है, परंतु उसमें तकबीर तहरीमा पढ़ना संभव है। अंत हुआ।

हाशिया इब्ने कासिम अला अरौज़ अल-मुरबे (2/245).

3- अस्त्र की नमाज़ के बाद से सूरज डूबने तक।

इन औकात के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बहुत सी हदीसें वर्णित हैं जो इनमें नमाज़ पढ़ने से रोकती हैं, उन्हीं हदीसों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

1- बुखारी (हदीस संख्या: 586) और मुस्लिम (हदीस संख्या: 728) ने अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने ने कहा : अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “अस्र की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ नहीं यहाँ तक कि सूरज डूब जाए, और फज़्र की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ नहीं यहाँ तक कि सूरज निकल आए।”

2- मुस्लिम (हदीस संख्या: 832) ने अम्र बिन अबसा अस्सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने ने कहा : मैं ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी ! अल्लाह ने आप को जो कुछ सिखाया है और मैं उससे अवगत नहीं हूँ उसके बारे में मुझे सूचना दीजिए, मुझे नमाज़ के बारे में बतलाइए। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “तुम सुबह – फज़्र - की नमाज़ पढ़ो, फिर नमाज़ से रूक जाओ यहाँ तक कि सूरज उगकर ऊँचा हो जाए . . . फिर तुम नमाज़ पढ़ो क्योंकि नमाज़ में फरिश्तों की उपस्थिति और हाज़िरी होती है यहाँ तक कि नेज़े का साया समाप्त हो जाए (यानी ज़मीन पर उसका साया बाकी न रहे) - और यही सूरज के आसमान के बीचो बीच होने का समय है - फिर नमाज़ से रूक जाओ क्योंकि उस समय जहन्नम को भड़काया (दहकाया) जाता है, फिर जब साया आ जाए - और यह जुहर की नमाज़ का प्राथमिक समय है - तो नमाज़ पढ़ो क्योंकि नमाज़ में फरिश्तों की उपस्थिति होती है यहाँ तक कि तुम अस्र की नमाज़ पढ़ लो, फिर नमाज़ से रूक जाओ यहाँ तक की सूरज डूब जाए . . .”

दूसरा :

नमाज़ की क़ज़ा से अभिप्राय नमाज़ को उसका समय निकल जाने के बाद पढ़ना है, और क़ज़ा की जाने वाली नमाज़ या तो फ़र्ज़ होगी, या नफ़्ल होगी।

यहाँ तक फ़र्ज़ नमाज़ की बात है : तो मुसलमान पर अनिवार्य है कि वह नमाज़ की उसके उस समय पर पाबंदी करे जिसे अल्लाह तआला ने उसके लिए निर्धारित किया है, अल्लाह सर्वशक्तिमान ने फरमाया है :

[إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا] النساء : 103

"निःसंदेह नमाज़ ईमान वालों पर एक निर्धारित समय पर अनिवार्य है।" (सूरत निसा : 103)

अर्थात् उसका एक निर्धारित समय है।

नमाज़ को अकारण विलंब करना यहाँ तक कि उसका समय निकल जाए, हाराम है। और वह बड़े गुनाहों में से है।

यदि मुसलमान के सामने कोई उज़्र हो, जैसे नींद या भूलचूक का होना, और वह नमाज़ को उसके समय पर न पढ़ सके, तो

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

उसके ऊपर अनिवार्य है कि वह उस कारण के समाप्त होते ही नमाज़ की क़ज़ा करे, चाहे वह निषिद्ध औक़ात में से ही कोई वक़््त क्यों न हो। यही ज़महूर विद्वानों का कथन है। देखिए : अल-मुग़नी (2/515).

इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है :

“जो व्यक्ति किसी नमाज़ से सो जाए या उसे भूल जाए तो उसे चाहिए कि उसको याद करते ही उसे पढ़ ले।” इसे बुखारी (हदीस संख्या : 597) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 684) ने रिवायत किया है।

जहाँ तक नफ़ल नमाज़ों का संबंध है तो : निषिद्ध वक़्तों में उसकी क़ज़ा के बारे में विद्वानों के बीच मतभेद है, और सही बात यह है कि उसे क़ज़ा किया जायेगा, यही इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह का मत है। देखिए : अल-मजमूअ (4/170). तथा शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ने इसे चयन किया है जैसाकि फतावा (23/127) में है। और इस बात पर कई हदीसों तक स्थापित करती हैं :

उन्हीं में से वह हदीस है जिसे बुखारी (हदीस संख्या : 1233) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 834) ने उम्मे सलमह रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अम्र के बाद दो रक्अतें पढ़ीं, तो मैं ने आप से उनके बारे में पूछा : तो आप ने फरमाया : “मेरे पास अब्दुल क़ैस के कुछ लोग आये थे, तो उन्होंने ने मुझे जुहर के बाद की दोनों रक्अतों से व्यस्त कर दिया था तो ये वही दोनों रक्अतें हैं।”

उन्हीं में से : वह हदीसे भी है जिसे इब्ने माजा (हदीस संख्या : 1154) ने क़ैस बिन अम्र से रिवायत किया है कि उन्होंने ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी को फज़्र की नमाज़ के बाद दो रक्अतें पढ़ते हुए देखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “क्या सुबह की नामज़ दो बार पढ़ रहे हो ?” तो उस आदमी ने आपसे कहा : मैं ने फज़्र से पहले की दोनों रक्अतें नहीं पढ़ी थी, तो मैं ने उन्हें (अब) पढ़ी है। वह कहते हैं कि तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस पर खामोश रहे।” इसे अल्बानी ने सहीह इब्ने माजा (हदीस संख्या : 948) में सही कहा है। इब्ने कुदामा ने फरमाया : “नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का खामोश रहना इसके जायज़ होने को इंगित करता है।” अंत हुआ। अल-मुग़नी (2/532).

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है, तथा अल्ल तआला हमारे ईशूत मुहम्मद पर दया व शांति अवतरित करे।

इस्लाम प्रश्न और उत्तर